भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 249
उत्तर देने की तारीख 24 जुलाई, 2024

5जी प्रौद्योगिकी

249. डॉ. राजीव भारद्वाजः
श्री राजीव प्रताप रूडी:

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों सहित देश के सभी जिलों में 5जी प्रौद्योगिकी शुरू कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बीएसएनएल और एमटीएनएल द्वारा प्रस्तावित 5जी सेवाओं से क्या लाभ प्राप्त हो रहे हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) 5जी स्पेक्ट्रम सेवाओं के अंतर्गत कुल कितनी जनसंख्या को इसके अंतर्गत शामिल किए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) एवं (ख) हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में 5जी सेवाएं शुरू कर दी गई हैं। इसके अलावा पूरे देश में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 5जी नेटवर्क को रोलआउट किया गया है और वर्तमान में देश में 750 से अधिक जिलों और 8000 कस्बों/शहरों में 5जी सेवाएं उपलब्ध हैं। हिमाचल प्रदेश में 4,101 बेस ट्रांसीवर स्टेशन (बीटीएस) सहित देश भर में आज तक 4.4 लाख से अधिक 5जी बीटीएस संस्थापित किए जा चुके हैं।

बीएसएनएल/एमटीएनएल ने अपने 4जी नेटवर्क के रोलआउट के बाद 5जी सेवाएं लॉन्च करने का प्रस्ताव दिया है। 5जी सेवाओं से प्राप्त होने वाले लाभों में पिछले 'फोर्थ जेनरेशन नेटवर्क' की तुलना में उच्चतर पीक डेटा दरें, निम्न लेटेंसी और उच्च स्पेक्ट्रम एफिशिएंसी शामिल हैं।

(ग) एवं (घ) सरकार ने 5जी सेवाओं के प्रसार के लिए कई पहल की हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:-

i. नीलामी के माध्यम से मोबाइल सेवाओं के लिए पर्याप्त स्पेक्ट्रम आवंटन।
ii. वित्तीय सुधारों के परिणामस्वरूप समायोजित सकल राजस्व (एजीआर), बैंक गारंटी (बीजी), ब्याज दरों और जुर्माना युक्तिसंगत हो गए हैं।
iii. मौजूदा आवेदन आमंत्रण सूचना (एनआईए) की निबंधन और शर्तों और समय-समय पर जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार स्पेक्ट्रम शेयरिंग, ट्रेडिंग और सरेंडर की अनुमति दी गई है।
iv. एसएसीएफए (रेडियो फ्रीक्वेंसी आवंटन संबंधी स्थायी सलाहकार समिति) क्लीयरेंस की प्रक्रिया का सरलीकरण।
v. मार्ग का अधिकार (आरओडब्ल्यू) नियमावली अधिसूचित करने और पीएम गतिशिक्ति संचार पोर्टल लॉन्च करने से आरओडब्ल्यू अनुमतियों को सुव्यवस्थित बनाया गया है और दूरसंचार अवसरंचना की संस्थापना के लिए क्लीयरेंस प्रक्रिया में तेजी आई है।
vi. स्मॉल सेलों और टेलीग्राफ लाइन की संस्थापना के लिए स्ट्रीट फर्नीचर के उपयोग के लिए आवेदन और समयबद्ध अनुमति के लिए आरओडब्ल्यू नियमावली में प्रावधान किया गया है।

तदनुसार दिनांक 01-10-2022 को 5जी सेवांए लॉन्च होने के बाद 19 माह की अल्प अवधि में लगभग 17 करोड़ वायरलेस डेटा उपभोक्ताओं ने देश में 5जी सेवाओं का उपयोग करना शुरू कर दिया है। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) ने 5जी सेवाओं का विस्तार किया है और स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए एनआईए में यथा निर्धारित न्यूनतम रोलआउट दायित्वों को पूरा करके उससे आगे चल रहे हैं। इन दायित्वों से ऊपर मोबाइल सेवाओं का विस्तार टीएसपी की तकनीकी-वाणिज्यिक व्यवहार्यता पर निर्भर करता है।

*****